न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00283 (166/2018) 223 आरटीएक्ट

1.साहबराम पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

2.बुद्धराम पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

3.काशीराम पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

4.कृष्ण पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

5..देवीलाल पुत्र पेमाराम जाति नायक साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

6.राजेन्द्र पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (फौत)

6/1 धापा पत्नी राजेन्द्र जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़

6/2.पीपन
6/3.पूजा
6/4.नेहा
6/5 विक्रम

} पुत्र पुत्रियां स्व0 राजेन्द्र नाबालिग जरिये कुदरती बली माता धापा पत्नी राजेन्द्र जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

7— लालचन्द पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। हाल मिर्जावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

8— सोहन लाल पुत्र पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। हाल भूरासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

9— काली पुत्री पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

10— सरोज पुत्री पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

———अपीलांट

बनाम

1.गुरदेवसिंह पुत्र मखनसिंह जाति बाजीगर निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

2.जंगीरसिंह पुत्र अर्जनसिंह साकिन चक 11 एन डब्ल्यू डी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (फौत)

2/1.गुरदेव कौर
2/2.हरबन्शसिंह
2/3.दिलबागसिंह,
2/4शिवराजसिंह
2/5.सीमरजीत कौर
2/6प्रकाश कौर
2/7वीरपाल कौर,
2/8.दिलबागसिंह
2/9पासो बाई

} पि0 जंगीरसिंह साकिन चक 11 एन डब्ल्यू डी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3.अमरजीतसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति बाजीगर निवासी सोती बड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

4.छिन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पुत्री जंगीरसिंह जाति बाजीगर साकिन सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5.समीर कौर उफ कुलविन्द्र कौर पुत्री जंगीरसिंह जाति बाजीगर निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

6.जगसीरसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति बाजीगर निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

7.सजना पत्नी स्व0 पेमाराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। (फौत)

8.विनोद पुत्र पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। (नाम कलमजन)

9.सोहन लाल पुत्र पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। (नाम कलमजन)

10.काली पुत्री पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। (नाम कलमजन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.सरोज पुत्री पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। (नाम कलमजन)

12.बुगली पुत्री पतराम नाबालिग जरिये कुदरती वली व माता कमा पत्नी पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

13.बाली पत्नी सुरजाराम जाति नायक साकिन रामपुरा तहसील रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

14.काशीराम पुत्र सुरताराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

15.इमरती पुत्री सुरताराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

16.शारदा पुत्री सुरताराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

17.मांडिया पुत्री सुरताराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

18.भेनी पुत्री सुरताराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

19.गोरा पुत्री सुरताराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

20.मंजू पुत्री सुरताराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

21.सरजीत कौर पुत्री जंगीरसिंह पत्नी मुखत्यारसिंह बाजीगर साकिन 11 एन डब्ल्यू डी

22बलजीत सिंह पुत्र मुख्त्यारसिंह बाजीगर साकिन 11 एन डब्ल्यू डी

23.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

24.लालचन्द पुत्र पेमाराम जाति नायक निवासी साकिन रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। हाल मिर्जावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। (अपीलान्ट प्रतिस्थापित)

25.कमा पत्नी पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

26.विनोद पुत्र पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। हाल भूरासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर

27.सोहन लाल पुत्र पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। हाल भूरासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर। (अपीलान्ट प्रतिस्थापित)

28— काली पुत्री पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़। (अपीलान्ट प्रतिस्थापित)

29— सरोज पुत्री पतराम जाति नायक निवासी रामपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (अपीलान्ट प्रतिस्थापित)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

———रेस्पोडेन्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 05.09.2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर प्रकरण संख्या 209/2012 बअनवानी गुरदेवसिंह बनाम जंगीरसिंह आदि

उपस्थितः—
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4, 5, 21, 22
श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः— 24.04.2019

1. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एकवाद बाबत खाता तकसीम अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर चक 4 आरपीएम की 7.9710 है. व चक 8 एनडब्ल्यूडी की 6.8310 है. कुल 14.802 है. की वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 27 की मुस्तर्का कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि होने, जिसमें वादी का 540 हिस्सा होने के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

अच्छी में से अच्छी व मांदी में से मांदी भूमि का खाता तकसीम कर कब्जा दिलवाये जाने तथा अलग अलग रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने का अनुतोष चाहा, जो विचारण न्यायालय ने स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित की है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3, 4, 29, 30 की ओर से काउण्टर क्लेम पेश होने के बाद उन्हीं के द्वारा दावा में राजीनामा प्रस्तुत कर दिये जाने पर अपीलाण्ट्स को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक पक्षीय अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत भूमि में अपीलाण्ट भी सह काश्तकार है। परन्तु उनकी तामील फर्जी तरीके से दर्शाते हुए एकपक्षीय कार्यवाही गलत की गई है और प्राथमिक डिक्री पारित किये बिना सीधे ही अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध पारित की गई है। नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान होते ही अपीलाण्ट ने नकलें प्राप्त कर जानकारी भीतर मियाद अपील प्रस्तुत की है। अपील गुणावगुण पर बल रखती है इसलिए अपील भीतर मियाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में 2017 आरआरटी पेज 258 पेश किया।
4. रेस्पोडेण्ट सं0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। उपस्थित रेस्पोडेण्ट ने वादी के साथ विचारण न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर दिया था। इसलिए राजीनामा के आधार पर ही अंतिम डिक्री पारित की गई है। अन्य किसी प्रतिवादीगण ने वादी के वाद का विरोध नहीं किया था इसलिए प्रारम्भिक डिक्री पारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानानुसार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपील सारहीन है एवं मियाद बाहर भी है जो खारिज की जावे।
5. रेस्पोडेण्ट संख्या 4, 5, 21, 22 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी के साथ राजीनामा होने के पश्चात् राजीनामा के आधार पर भी अपीलाधीन निर्णय पारित किये हैं। अपीलाण्ट ने मात्र. हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील प्रस्तुत की है। जबकि उसका हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। अपील कतई मियाद बाहर है जो खारिज की जावे।
6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. अपील की बहस, पत्रावली में आये कथनों एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं था इसलिए अपीलाधीन निर्णर्य पारित होने की दिनांक का ज्ञान नहीं था। इसलिए अपीलाण्ट्स को ज्ञान होते ही उनके द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। देरी माफी हेतु आवेदन पत्र के साथ शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है। जिसके खण्डन स्वरूप कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। अपील प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना श्रेयष्कर होने से अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुति में की गई देरी को कण्डोन किया जाता है एवं अपील भीतर मियाद मानी जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

9. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 29, 30 जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण ने पेश किया है, जिसका जवाबबुल जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसपर विवादक कायम किये गये हैं, परन्तु वादी व प्रतिवादीगण 3, 4, 29 30 के मध्य राजीनामा दिनांक 16.06.2017 को तस्दीक किया गया है एवं दिनांक 05.09.2017 को मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया गया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रस्तुत वाद में प्राथमिक डिक्री जारी किये बिना अन्तिम डिक्री पारित नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2014 आरआरडी पेज 258 उनके कथनों की ताईद करते हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष अन्य सहखातेदारान की भी कोई सहमति एवं भू धारक की सहमति भी प्रतीत नहीं होती है। ना ही अन्य सह खातेदारान को कहां कहां और कौन कौनसी भूमि दी गई है अथवा उनके हिस्से में आई है एवं इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की गई है। उक्त परिस्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अन्तिम डिक्री पारित करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का निर्णय दिनांक 05.09.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार प्रारम्भिक डिक्री पारित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अन्तिम डिक्री पारित करे। उभयपक्ष अधिनिस्थ न्यायालय में दिनांक 31.05.2019 को उपस्थित हों। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2015 [9] मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/4/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ (राज०)